

### दवा निर्माताओं को झटका

नई दिल्ली (ब्यूरो)। जंरूरी दवाओं को कम दाम पर बिना किसी देरी के बाजार में उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दवा निर्माताओं को झटका दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सभी निर्माता दवा के मौजूदा स्टॉक को राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) की ओर से दिए गए समय पर बदलने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि एनपीपीए ही दवाओं के दाम पर नियंत्रण रखने के लिए जिम्मेदार है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का फार्मा इंडस्ट्री पर बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा।

NPPA